शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का प्रस्तावः अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती राज्य सरकार

नेसार अहमद

राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमति वसुधंरा राजे ने जब पिछले बजट भाषणों में निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) की बात की थी तब शायद ही किसी को यह अन्दाज़ा था कि पीपीपी के नाम का यह मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्कूली शिक्षा में भी लागू किया जायेगा। परन्तु दो दिन पहले ही राज्य काबीना द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड में चलाने का फैसला किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, टीकाकरण तथा 104 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। पहले चरण में कुल 2082 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 90 स्वास्थ्य केन्द्रों को, जहां डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्टाफ की कमी है, पीपीपी मोड के अंतर्गत निजी क्षेत्र को दिया जायेगा।

हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन पीपीपी मोड पर दिये जाने के संबधित अन्य जानकारियां अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य में स्कूली शिक्षा को पीपीपी के तहत निजी क्षेत्रों के ग़ैर मुनाफा कम्पनीयों, सोसायटी, ट्रस्ट आदि के द्वारा संचालन हेतु ''स्कुली शिक्षा में निजी सार्वजनिक भागीदारी के लिये नीति 2015'' का मसौदा जारी कर रखा है। इस मसौदा नीति पत्र में सरकारी स्कूली शिक्षा में निजीकरण को लाने का कारण बताया गया है कि ''राज्य में शिक्षा में बजट के खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवता का स्तर गिरता जा रह है।'' मसौदा यह भी दावा करता है कि ''निजी विद्यालयों में प्रति छात्र कम खर्च के बावजूद सीखने का स्तर बेहतर रहा है।''

मसौदा नीति में सरकारी विद्यालयों को चलाने के लिये चार प्रकार की सहभागिता प्रस्तावित की गई है। पहला, वर्तमान स्कूलों को निजी संस्थानों को ''पहले आओ–पहले पाओ'' के आधार पर दिया जायेगा, जिनमें 100 प्रतिशत छात्र सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाएंगें। दूसरा, वर्तमान सरकारी विद्यालयों में नीलामी के द्वारा निजी संस्थानों को दिया जायेगा। इनमें भी 100 प्रतिशत छात्रों के सरकार प्रायोजित

करेगी। तीसरा, ''शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों के अलावा अन्य प्रखण्डों'' में नये विद्यालय स्थापित करना, जिनमें सरकार केवल 40 प्रतिशत छात्रों को ही प्रायोजित करेगी शेष 60 प्रतिशत छात्र अपनी फीस स्वयं चुकाएंगे। चौथा, ''शैक्षिणीक रूप से पिछड़े प्रखण्डों'' में नये विद्यालय खोलना, जहां सरकार 100 प्रतिशत बच्चों को प्रायोजित करेगी।

सबसे मजेदार यह है कि सरकार ने इसस मसौदे में संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार कानून का ज़िक्र तक नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकारी शिक्षकों तथा गैर शैक्षिक स्टाफ का क्या होगा। मसौदा में कहा गया है कि सरकार बच्चों को मुफ्त किताबें, मध्यान्ह भोजन तथा अन्य लाभ देती रहेगी। प्रति छात्र फीस का भुगतान सरकार द्वारा बोली के आधार पर किया जायेगा। लेकिन सरकार स्कूल चलाने वाली निजी संस्था को कोई स्टाफ नहीं देगी।

शिक्षा पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी तथा निजी विद्यालयों में प्रति छात्र कम खर्च के बावजूद, के दावे की गहरी पड़ताल करने की आवश्यकता है। मसौदा नीति में इस दावे के निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के स्तर, समर्थन में किसी अध्ययन का हवाला नहीं दिया गया है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी औसतन 10 से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से होती रही है, केवल एक वर्ष को छोड़ कर।

परन्तु यदि शिक्षा बजट की तुलना राज्य के सकल घरेलु उत्पाद (जी एस डी पी) से करें तो राज्य में शिक्षा को आंवटन वर्ष 2010–11 में जी एस डी पी के 3.03 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2013–14 में 2.97 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में शिक्षा बजट जी एस डी पी का 3.99 प्रतिशत हो गया, क्योंकि उस वर्ष से केन्द्र से प्राप्त सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि राज्य बजट में दिखाई जाने लगी। परन्तु जब वर्ष 2015–16 का बजट पेश हुआ तो वर्ष 2014–15 के आंवटन को संशोधित कर उसमें लगभग 2300 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गई तथा यह जी एस डी पी का 3.58 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2015–16 में भी 2014–15 के मुक़ाबले मात्र 1000 करोड़ रूपये की वृद्धि

की गई तथा वर्तमान वर्ष का शिक्षा को कुल आंवटन जी एस डी पी का मात्र 3.48 प्रतिशत ही है।

निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा तथा कम खर्च का दावा भी किसी अध्ययन पर आधारित नहीं है। निम्न खर्च वाले निजी स्कूलों मं प्रति छात्र खर्च सरकारी स्कूलों से शायद कम आता हो, परन्तु इन स्कुलों की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों से अच्छी है यह नही कहा जा सकता। मंहगे निजी विद्यालयों में प्रति छात्र खर्च सरकारी स्कूलों से कहीं अधिक है।

पिछले कई वर्षों के असेर (ASER) रिर्पोट ये दिखाते हैं कि हांलाकि निजी विद्यालयों में सीखने का परिणाम सरकारी विद्यालयों से बेहतर है परन्तु पिछले वर्षों में दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफी गिरा है। वास्तव में वर्ष 2014 में सरकारी विद्यालयों के परिणाम सुधरे है जबकि नीजी विद्यालयों के परिणामों में गिरावट आई है। असेर 2014 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवी के ऐसे छात्र जो दूसरी कक्षा के किताबों को पढ़ सकते हैं का प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में 2013 में 41.1 प्रतिशत था, जो 2014 में 42.2 प्रतिशत हो गया। जबकि निजी विद्यालयों में ऐसे छात्रों का प्रतिशत 2013 में 63.3 प्रतिशत से कम होकर 2014 में 62.5 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्षों के रूझान दिखाते हैं कि शिक्षा का स्तर में गिरावट निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के स्कुलों में बदस्तूर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवी के छात्र जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं का प्रतिशत सरकारी स्कुलों में 50.7 प्रतिशत (2010) से घटकर 42.2 प्रतिशत (2014) रह गया जबकि निजी स्कूलों में यह 64.2 प्रतिशत (2010) से घटकर 62.2 प्रतिशत रह गया है।

जहां तक प्रति छात्र खर्च की बात है, निजी विद्यालयों में बढ़ते ट्युशन खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। ग्रामिण क्षेत्रों में ट्युशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत निजी स्कूलों में बढ़ रहा है जबकि सरकारी स्कूलों में यह प्रतिशत स्थिर है। असेर रिपोर्ट 2014 के मुताबिक निजी स्कुलों के 1–5 वीं तक के छात्रों में ट्युशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत 5.7 प्रतिशत (2011) से बढ़कर 8.1 प्रतिशत (2014) हो गया

है जबकि सरकारी विद्यालयों के छात्रों में यह लगभग 15 प्रतिशत पर रूका हुआ है।

ज़ाहिर है कि सीखने के बेहतर परिणाम केवल स्कूल के प्रकार पर निर्भर नहीं करते। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के माता–पिता आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से बेहतर होते हैं। असेर रिर्पोट 2014 में असेर 2009 के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह पाया गया है कि अगर अन्य कारकों/तथ्यों को नियंत्रित करके सरकारी तथा निजी विद्यालयों के सीखने का परिणामों का विश्लेषण किया जाये तो सरकारी तथा निजी विद्यालयों के अंतर में काफी कमी आ जाती है। असेर रिर्पोट बताता है कि सीखने के परिणामों में अंतर का दो–तिहाई स्कूल के प्रकार के अलावा अन्य कारणों से होता है।

साथ ही सरकारी स्कूलों के प्रंबधन को निजी क्षेत्रों के हवाले कर देने से सभी प्राकर के राजनैतिक तथा वैचारिक संगठनों के लिये स्कूली शिक्षा में अपनी विचार धारा को थोपने के दरवाज़े खुल जायेंगे जो भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक मुल्य के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं।

ज़ाहिर है कि सरकार ने जल्दबाजी में बिना पूरी तरह से विचार किये यह मसौदा जारी किया है। आवश्यकता सरकारी स्कूलों को और सशक्त करने की है जिसके लिये आवश्यक है, बजट में वृद्धि, शिक्षा का अधिकार कानून का ठीक से लागू किया किया जाना, स्कूल प्रंबधन समितियों का सशक्तिकरण तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी।

इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रों के उचित संचालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किये गये समुदाय आधारित निगरानी को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य बजट तथा आधारभूत ढ़ाचे को ठीक करने से काफी सहायता मिल सकती है। अगर सरकारी स्कूलों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के ठीक से चलाये जाने के लिये एक दूसरे प्रकार के पीपीपी की आवश्यकता है। यह है जन (पिपुल) –सार्वजनिक (पब्लिक)– भागीदारी। गांव के लोग, जिनेक बच्चें सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तथा जिन्हें अपना इलाज प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों पर करवाना पड़ता है, की भागीदारी बढ़ाई जाये तो फिर इन सेवाओं में सरकार को निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नोटः इस लेख का कुछ भाग 20 जून, 2015 को डेली न्यूज़ में प्रकाशित हुआ था।